39—IV

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

भारत INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BH 765569

दस्तावेज (ट्रस्ट/न्यास)

हम कि अजय कुमार सिंह पुत्र स्व0 श्री शम्भूनाथ सिंह ग्राम व पोस्ट–काझा, तहसील–मुहम्मदाबाद गोहना, जनपद–मऊ (उ0प्र0) का निवासी हूँ। मैं सुगवन्ती स्मारक शिक्षण सेवा संस्थान एवं सोशल वेलफेयर ट्रस्ट का दस्तावेज अपने हस्ताक्षरों से रजिस्टर करता हूँ।

ट्रस्ट (न्यास) की विविध प्रतिबद्धता :

यह ट्रस्ट इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड किया जा रहा है। इस ट्रस्ट ऐक्ट के वे समस्त नियम/उप नियम लागू होगें जो कि इस ट्रस्ट के संचालन के लिए अवश्यक है और न्यायिक विधा में व्यवहारिक तथा विधिमान्य है। ट्रस्ट उनके अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है।

ट्रस्ट (न्यास) का नाम : **सुगवन्ती स्मारक शिक्षण सेवा संस्थान एवं सोशल वेलफेयर ट्रस्ट**
ट्रस्ट का पता : ग्राम व पोस्ट–काझा, तहसील–मुहम्मदाबाद गोहना, जनपद–मऊ (उ0प्र0)
ट्रस्ट का प्रधान कार्यालय : ग्राम व पोस्ट–काझा, तहसील–मुहम्मदाबाद गोहना, जनपद–मऊ (उ0प्र0)
ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारत
ट्रस्ट निमार्ता (न्यासकर्ता) : अजय कुमार सिंह

ट्रस्ट में निम्नलिखित व्यक्तियों ने ट्रस्टी सदस्य बनाने हेतु अपनी सहर्ष सहमति प्रदान की है–

क्र0 सं0	नाम– पिता/पति का नाम	ट्रस्टी पद	पता	व्यवसाय
1	अजयकुमार सिंह पुत्र स्व0शम्भूनाथ सिंह	अध्यक्ष	ग्राम व पोस्ट–काझा, जनपद–मऊ	समाजसेवी
2	बृजबाला सिंह पत्नी अजयकुमार सिंह	सदस्य	ग्राम व पोस्ट–काझा, जनपद–मऊ	समाजसेवी
3	शुभनरायन सिंह पुत्र स्व0 शम्भूनाथ सिंह	सदस्य	ग्राम व पोस्ट–काझा, जनपद–मऊ	समाजसेवी
4	रीता सिंह पत्नी श्री शुभनरायन सिंह	सदस्य	ग्राम व पोस्ट–काझा, जनपद–मऊ	समाजसेवी
5	विजय कुमार सिंह पुत्र श्री ब्रह्मदेव सिंह	सदस्य	ग्राम व पोस्ट–धवरियासाथ, जनपद–मऊ	समाजसेवी
6	शान्ति सिंह पत्नी श्री विजयकुमार सिंह	सदस्य	ग्राम व पोस्ट–धवरियासाथ, जनपद–मऊ	समाजसेवी
7	राजमोहन सिंह पुत्र कल्पनाथ सिंह	सदस्य	ग्राम व पोस्ट–जमीरपुर, जनपद–आजमगढ	समाजसेवी

ट्रस्ट का स्वरूप :

यह ट्रस्ट एक अलाभकारी, गैर सरकारी, गैर राजनीतिक, स्वैच्छिक संगठन है जो धर्म, जाति, वर्ग, सम्प्रदाय व राजनीतिक से ऊपर उठ कर जनहित में कार्य करेगी। ट्रस्ट द्वारा किसी भी प्रकार का कोई लाभ किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होगा बल्कि ट्रस्ट सभी प्रकार के लोगों के विकास व लोक कल्याण के लिए कार्य करेगा।

अजय कुमार सिंह

TREASURY MAU
STAMP
16 APR 2013
C.C. MAU

5001 — 60/— 5000

उप निबन्धक
मुहम्मदाबाद गोहना
मऊ
6-11-13

तहरीर तकमील दस्तावेज ... व वसूल याबी

उप निबन्धक
मुहम्मदाबाद गोहना
मऊ
6-11-13

5

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BH 765565

- न्यास के उद्देश्यों हेतु मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रबन्ध द्वारा अनुदान प्राप्त करना या देना तथा उसकी रसीद देना या प्राप्त करना।
- सरकार के समक्ष तथा न्यायालय ट्रिब्यूनल राजस्व म्युनिसिपल तथा स्थानीय निकाय आदि के सम्मुख न्यास का प्रतिनिधित्व करना तथा सभी प्रकार के मुकदमें वाद अपील रिट् चाहें वह न्यायालय के समक्ष हो या अन्य अधिकारियों व निकाय व ट्रिब्यूनल के समक्ष आदि को दायर करना, उन्हें चलाना तथा ऐसे वादो में जो न्यास के विरूद्ध दायर किये गये हो न्यास के हित की प्रतिरक्षा करना।
- न्यासियों द्वारा निर्धारित शर्तो व वेतन पर किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों को न्यास के कार्यो हेतु नियुक्ति करना और ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना और उनकी सेवायें समाप्त करना। न्यास परिषद के ऐसे कार्यो को किसी भी न्यायालय या ट्रिब्यूनल आदि में विवादित नहीं किया जा सकेगा या चुनौती नहीं दी जा सकेगी।
- न्यास कि सम्पत्ति या क्रिया-कलापों के उचित प्रबन्धन के लिए न्यास परिषद जो भी व्यय या खर्च आवश्यक समझे उसका वहन करना।
- न्यास या उसके द्वारा संचालित संस्थाओं आदि के सम्बन्ध में खाता खोलना तथा एक या एक से अधिक न्यासी द्वारा उक्त बैंक खाता खोलने तथा चलाने कि व्यवस्था।
- न्यास परिषद कि सहमति पर अपनी कुछ शक्तियाँ किसी न्यासी या अन्य व्यक्ति को प्रतिनिधानित करना, परन्तु ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों के कार्य व्यवहार को न्यासीगणों के नियंत्रण एवं निर्देशों के अधीन रखना।
- न्यास कि धन या अचल सम्पत्ति व फण्ड किसी ऐसे अन्य न्यास को हस्तान्तरित करना, जो इस न्यास के समान हो तथा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी में मान्यता प्राप्त हो।
- न्यासियों की सहमति पर लोगों को न्यास की संचालित संस्थाओं का समय-समय पर सदस्य बनाना तथा नियम व उपनियम को बनाना तथा उसमें परिवर्तन करना, परन्तु संस्थाओं के ऐसे सदस्यों को इस न्यास में मताधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- न्यासीगणों की सहमति से निर्धारित शर्तो के अनुसार न्यास की अचल सम्पत्ति को किराये पर देना या हस्तान्तरित करना।
- न्यास हित के लिए सभी प्रकार की कार्यवाही शर्ते, दावे, मीन मुकदमा आदि के सम्बन्ध में समझौता करने, मध्यस्थ को सौंपने तथा समायोजित करना।
- न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु परिनियम तथा योजनाएं बनाना व उनमें परिवर्तन करना और न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु न्यास/न्यासी द्वारा संचालित संस्थाओं के क्रिया-कलापों के प्रबन्धन आदि हेतु योजनाएं तथा परिनियम बनाना व उनमें परिवर्तन करना।

अजय कुमार सिंह

8

[illegible]

ASOORY ... STAMP

16 APR 2013

[illegible]

[illegible]

[illegible]

रेखा चिन्ह अंगूठा निशान तथा हस्ताक्षर नियमानुसार लिये गये।

उप निबन्धक

[illegible]

6-11-13

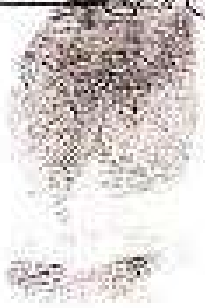

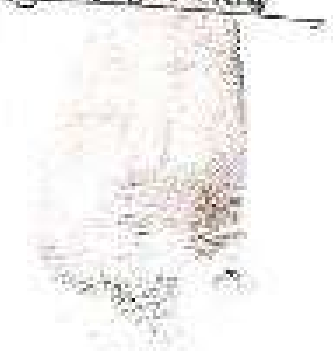

3

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BH 765567

- विचारकों, विधवाओं, अन्धों, वृद्धों, गरीबों, जरूरतमंदों, अभावग्रस्त व्यक्तियों के लिए आश्रम, गृह धर्मशाला, मुसाफिर खाना, विद्यालय, नवजात शिशुओं के लिए आश्रम, गृह अनाथालय आदि स्थापित करना व उनका प्रबन्धन करना और इस प्रकार के लोगों की सहायता करना।
- शारीरिक रुप से विकलांग, अक्षम और मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए संस्थान की स्थापना करना तथा विकास करना जिसमें ऐसे व्यक्तियों की शिक्षा, भोजन, कपड़ा आदि देकर सहायता की जाय।
- अन्य सार्वजनिक पूर्त (पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट) व अन्य ऐसे संस्थाओं की स्थापना व सहायता करना।
- अनाथ, गरीब, विकलांग बच्चों हेतु आवासीय/अनावासीय विद्यालयों की स्थापना व संचालन करना।
- प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में सरकार के विभिन्न योजनाओं को संचालित करने हेतु गैर सरकारी संस्था (एन0जी0ओ0) के रुप में सहभागिता करना।
- कृषि, बागवानी, पशुपालन, गृह–उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, नारी उत्थान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग का उत्थान, भ्रष्टाचार निरोध, मानवाधिकार आयोग से सम्बन्धित कार्य, कानून एवं व्यवस्था का विकास, स्वैच्छिकरण का विकास, औद्योगिक संस्थान, नागरिक उड्डयन, सहकारिता, ऊर्जा, शिक्षा (प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च प्राविधिक, चिकित्सा, कम्प्यूटर, कृषि इत्यादि) संस्कृत शिक्षा, वन, आवास एवं शहरी नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, महिला कल्याण, भाषा, धर्मार्थ कार्य, लोक निर्माण, सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, आयुर्वेद एवं होम्योपैथिक चिकित्सा, परिवहन, परिवार कल्याण, समाज कल्याण, पर्यटन, खाद्य एवं रसद, मनोरंजन, बाल विकास एवं पुष्टाहार, श्रम, भूतत्व एवं खनिज कर्म, खेलकूद, युवा कल्याण, खादी एवं ग्रामोद्योग, भूमि विकास, जल संसाधन, परती भूमि विकास, उद्यान, पर्यावरण, लघु उद्योग, हथकरघा, वस्त्र उद्योग, दुग्ध विकास, ग्राम्य विकास, संस्कृति मत्स्य, विकलांग कल्याण पंचायती राज, आबकारी, ग्रामीण रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, नागरिक सुरक्षा, न्याय एवं विधायी संस्थायें, नियोजन, निर्वाचन एवं पंचायत राज, बैंकिंग, भाषा, मुद्रण एवं लेखन, भूमि विकास एवं जल संसाधन, राष्ट्रीय एकीकरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सतर्कता, समन्वय, सार्वजनिक उद्यम, सूचना एवं जनसम्पर्क, अल्पसंख्यक कल्याण, कृषि विपणन, निर्यात प्रोत्साहन, पुरातत्व, प्रशिक्षण एवं सेवा योजन, प्राणी उद्यान, एड्स नियंत्रण, गंगा–यमुना आदि स्वैच्छिक, आपदा राहत, पेयजल एवं स्वच्छता, सहकारी समितियों, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा, सैनिक कल्याण, संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा, स्थानीय निकाय, यूनानी चिकित्सा, प्रशासन एवं प्रबन्धन संस्थाएं, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, रिमोट सेंसिंग, ललित कला, चित्रकला, वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान आन्तरिक लेखा परीक्षा, संगीत, नाटक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उपभोक्ता संरक्षण, भूमि सुधार, भण्डारा, विचार प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, कम्प्यूटर तथा अन्य क्षेत्रों के विकास हेतु संस्थाएं आदि स्थापित करना व उनका विकास करना और प्रबन्धन करना।

अजय कुमार सिंह

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AK 840269

अध्यक्ष ट्रस्टी –

श्री अजय कुमार सिंह अध्यक्ष व संस्थापक ट्रस्टी होंगी।

सदस्य ट्रस्टी :–

साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के निर्देश पर बैठकों में भाग लेना एवं ट्रस्ट के सर्वमान्य हित में निर्णय लेना एवं ट्रस्ट की योजनाओं में स्वार्थहित भाव से सहयोग प्रदान करना।

ट्रस्ट (न्याय) के अंग :– ट्रस्ट (न्यास) निम्नलिखित दो वर्ग की होगी

1. साधारण सभा
2. प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट

साधारण सभा (गठन) :–

साधारण सभा का गठन ट्रस्ट (न्यास) के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा। परन्तु ट्रस्ट अन्य संचालित संस्थाओं के लिए एक प्रबन्ध समिति का गठन कर सकती है। जिसमें ट्रस्ट के सदस्य भी सम्मिलित होगें इसके अतिरिक्त 1,00,000– रु0 संस्थापक/अध्यक्ष ट्रस्टी की अनुमति से सदस्यता शुल्क जमा कराकर नये सदस्यों को सम्मिलित किया जा सकता है।

बैठकें –

1. साधारण बैठकें– ट्रस्ट (न्यास) के साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में दो बार मार्च व सितम्बर माह में होगी।

2. विशेष बैठक– दो तिहाई सदस्यों की लिखित मांग पर या आवश्यकता पड़ने पर साधारण सभा की आवश्यक बैठक बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि–

साधारण स्थिति में प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट समिति का संस्थापक/अध्यक्ष ट्रस्टी की सहमति से एक सप्ताह पूर्व बैठक की सूचना डाक अथवा दस्ती द्वारा देकर बैठक बुला सकता है। विशेष परिस्थितियों में 24 घण्टे की सूचना पर साधारण सभा ट्रस्टियों की बैठकें बुलाई जा सकती है।

गणपूर्ति–

बैठक में दस्यों की गणपूर्ति का कोरम उपस्थिति होना आवश्यक है यह गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 होगी।

विशेष वार्षिक अधिवेशन–

साधारण सभा का विशेष वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार दिसम्बर माह में होगा।

ट्रस्ट के साधारण सभा के कर्तव्य– साधारण सभा ट्रस्टियों के निम्नलिखित कर्तव्य हागें

(क) वार्षिक आय–व्यय बजट चेक करना।
(ख) ट्रस्ट (न्यास) के विकास हेतु अगले वर्ष के योजना एवं बजट निश्चित करना।
(ग) प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चयन करना।
(घ) ट्रस्ट (न्यास) के विकास के लिए समय–समय पर उनके कार्यो को करना जो समिति के हित में हो।

अजय कुमार सिंह

6

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 987101

- स्वास्थ्य व शिक्षा या पूर्ण सहायता को प्रारम्भ करना, सहायता करना, स्थापित करना, पुनः प्रारम्भ करना या स्थापित करना तथा द्वारा प्रोत्साहन/लोककल्याण/सहायता के सम्बन्ध में सभी कार्य करना।
- न्यास की आय न्यास की विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार विभाजित करना और न्यास निधि में जमा करना;
- देश व विदेश में ऐसे न्यास, न्यास पूर्ण संस्थाओं/सोसाइटी/संगठन आदि को न्यास की आय से दान अथवा ऐसी सहायता करना, जिनके उद्देश्य इस न्यास के उद्देश्य व समान हों तथा किसी भी प्रकार से न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें। ऐसे न्यासों, न्यास पूर्ण संस्थाओं/समितियों/संस्थानों इत्यादि को पुनः प्रारम्भ करना, अनुरक्षित करना तथा न्यास के उद्देश्यों हेतु संचालित करना।
- संपत्ति के मामलों को व्यवस्थित करना तथा हानि या दायित्व न लेते हुए न्यास के सभी मामलों, कार्यवाहियों, मुकदमों या वाद-विवाद में जैसा व उचित समझे समझौता करना, उसका परिशोधन करना या न्यास की संपत्ति हेतु सौंपना।
- न्यास की संपत्ति पर या किसी अन्य प्रकार से जमानत पर या जमानत बिना, ऋण लेना और न्यासीगण की सहमति पर न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ऋण प्रणाली बैंक ब्याज इत्यादि की शर्तों पर निर्णय न्यासीगण की इच्छानुसार लिया जायेगा।
- न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सरकार, सरकारी संस्थाएं, कार्पोरेशन कम्पनी व अन्य व्यक्तियों से दान, चन्दा, उपहार, अनुदान, कर्ज एवं धन लेने के लिए प्रार्थना पत्र देना तथा चन्दा आदि प्राप्त करना। इस सम्बन्ध में सहायता राशि की शर्तें निश्चित करना तथा सार्वजनिक निकायों, सरकारी संस्थाओं, कार्पोरेशन कम्पनी व अन्य व्यक्तियों आदि से न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शर्तें करना, समझौता करना तथा अनुदान की दर तथा ऋण राशि इत्यादि की शर्तें इत्यादि करना।
- न्यासीगण की सहमति पर न्यास को अन्य समान उद्देश्यों वाले न्यास/सोसाइटी/संगठन व संस्था का सहयोगी बनाना या सम्मेलन करना जो कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी में मान्यता प्राप्त हो या ऐसी संस्थाओं को अपने अधिकार में लेना।
- न्यास की अन्य न्यास या सरकारी संस्था (जिसके उद्देश्य समान हों) को स्थापित करना, अनुरक्षित करना, व्यवस्थित करना, सहायता करना, संचालित करना या उन्हें इस न्यास को जोड़ना या इस न्यास में सम्मिलित कर लेना।
- ऐसे संस्थाओं को लेना या उन पर नियंत्रण करना या उन्हें प्रतिस्थापित करना या उन्हें सहायता देना या अनुरक्षित करना, जिनका उद्देश्य न्यास के समान व सम्बन्ध हो तथा इस सम्बन्ध में सभी कार्य करना।
- इस न्यास में जिन अन्य न्यासों, संस्थाओं, संस्थानों, समितियों को सम्मिलित किया जा सकता है सभी स्वीकार व प्राप्त करना।

अजयकुमार सिंह

2

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BH 765568

ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य : ट्रस्ट के निम्न मुख्य उद्देश्य होंगे–

- ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य भिन्न-भिन्न पर अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम की शिक्षण संस्थाए यानि प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च शिक्षा स्तरीय महाविद्यालय, शैक्षणिक विद्यालय, चिकित्सा शिक्षा, नर्सिंग एवं पैरा मेडिकल कालेज, मेडिकल कालेज, प्रबन्धन तथा विधि महाविद्यालय एवं उच्च शिक्षा संस्थानों आदि की स्थापना करना।
- प्रौढ़ शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा व इंजीनियरिंग कालेजों व विभिन्न खेलों की व्यवस्था करना एवं संचालन करना, शिक्षा का देश-प्रदेश के कोने-कोने में प्रकाश फैले इसके लिए हर सम्भव कार्य करना व संस्थानों की स्थापना करना।
- बी०टी०सी०, बी०एड०, बी०पी०एड०, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्कूल, टेक्निकल कालेज, सी०बी०एस०ई० के स्कूलों की स्थापना करना। उ०प्र० सरकार एवं भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली समस्त शैक्षणिक आवासीय एवं सामाजिक संस्थाओं की स्थापना करना तथा संचालन करना।
- पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना तथा इस उद्देश्य हेतु संस्थाओं को स्थापित करना तथा अभिवर्द्धित करना।
- न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जनता को अध्ययन, अनुसंधान, अध्यापन आदि की संस्थाओं आदि में सुविधा प्रदान करना जिससे कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन अच्छी तरह हो सके।
- इस न्यास व इसके उद्देश्यों का प्रचार-प्रसार ऐसे माध्यमों द्वारा करना जो उचित समझे जाये विशेष रूप से जैसे प्रेस परिपत्र (सरकूलर्स) इसके कार्यों के प्रदर्शनी, परितोषिक तथा दान आदि वितरित करना।
- अस्पताल, स्कूल, अभियंत्रण, चिकित्सा, प्रबन्धन तथा विधि विद्यालय, डिस्पेन्सरी, प्रसूति गृह बाल कल्याण केन्द्र परिचर्या गृह तथा अन्य इसी प्रकार के पूर्त संस्थाओं की जन सामान्य के लाभ हेतु भारत या विदेश में ही स्थापना करना, उनका उत्थान करना व उन्हें धन व अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करना।
- परिवार कल्याण एवं उससे सम्बन्धित अन्य समस्त प्रकार के कार्यक्रम।
- विभिन्न संक्रामक/गैर संक्रामक बीमारियों जैसे एड्स, मस्तिष्क ज्वर, कुष्ठ रोग, कैंसर, पोलियो, मोतियाबिन्द आदि के रोकथाम के लिए सरकार व अन्य सामाजिक संगठनों तथा व्यक्तियों के मदद से कार्य करना।
- उद्यान (पार्क), व्यायामशाला, क्रीड़ा क्लब व धार्मिक स्थान व विश्राम गृह, मनोरंजन क्लब, धर्मशाला आदि की जनसामान्य के उपयोग के लिए स्थापना करना, उन्हें चलाना तथा उनकी सहायता करना।
- हिन्दू, सिख, जैन, बौद्ध आदि धर्मों के लोगों को संगठित करना तथा सेवा आदि के लिए गुरूद्वारा, मंदिर, मुसाफिर खाना निर्मित करना और उसका प्रबन्धन करना और मन्दिर में पूजा के लिए मूर्तियां लगवाना।

अजय कुमार सिंह

- न्यास की सम्पत्ति, आस्ति, दायित्व आदि किसी अन्य ऐसे न्यास, समिति, संस्था या संगठन को हस्तान्तरित करना, जिसमें उत्तर प्रदेश न्यास का विलय होना अधिकृत किया गया है।
- न्यास को उन अन्य समिति, संस्था, न्यास या संगठन को उन शर्तों में सौपना जिन्हें न्यासीगण उचित समझे, परन्तु इस सम्बन्ध में संस्थापक ट्रस्टी प्रथम की अनुमति आवश्यक होगी एवं ऐसा होने पर न्यासीगण अपने दायित्व से उन्मोचित हो जायेगें और न्यास की राशि भी हस्तान्तरित हो जावेगी।
- न्यास के आवर्तक व अनावर्तक व होने वाले खर्चों को निश्चित करना, उन्हें अनुमोदित करना व आवंटित करना और इस सम्बन्ध में न्यासीगण कार्यभार के सम्बन्ध में और इससे सम्बन्धित होने वाली बैठकों के सम्बन्ध में नियम बना सकते है और उन नियमों का समय-समय पर संशोधित कर सकते हैं। इस प्रकार बनाये गये सभी नियम संस्थापक ट्रस्टी प्रथम द्वारा अनुमोदन होने के उपरान्त ही प्रभावी होगें।
- न्यास व इसकी संस्थाओं के संचालन व परिवर्धन हेतु व्यक्ति या व्यक्तियों जिसमें न्यासी/प्रबन्धन न्यासी व समिति आदि शामिल है को नियमानुसार नियुक्त करना तथा इस सम्बन्ध में अपने नियम व परिनियम बनाना एवं विभिन्न पूँजी व निवेश के सम्बन्ध में न्यास के प्रावधानों के अनुसार नियम व परिनियम बनाना तथा विभिन्न न्यासी नियुक्त करना।
- न्यासीगण आवश्यकतानुसार मानदेय व कर्मचारी व सहयोगी नियुक्त कर सकते है, जिससे न्याय का समुचित प्रावधान किया जा सके।
- न्यासीगण को यह अधिकार होगा कि वे आर्थिक तकनीकी व अन्य प्रकार की सहायता व अन्य व्यक्तियों से अधिकारियों या संस्था से उन शर्तो पर ले सकते हैं जो उन्हें उचित लगे तथा जो न्यास के उद्देश्यों से सामंजस्य रखती हो।
- न्यासीगण अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग आपसी बहुमत के निर्णय के आधार पर कर सकेंगे और बहुमत द्वारा लिये गये निर्णय प्रभावी कानूनी व उचित माने जायेगें।
- उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अध्यक्ष के अनुमति से अन्य ट्रस्टों की वित्तीय या अन्य प्रकार की मदद उपलब्ध कराना।

ट्रस्ट का कार्यकाल :

ट्रस्ट का कार्यकाल आजीवन रहेगा एवं इस ट्रस्ट के संस्थापक का कार्यकाल जीवन पर्यन्त होगा, वह जब तक जीवित रहेगा अपने पद पर बना रहेगा। संस्थापक ट्रस्टी के अन्त के बाद संस्थापक ट्रस्टी की पत्नी बृजबाला सिंह पत्नी अजय कुमार सिंह मुख्य पद को धारण करेंगी उनके अंत के बाद उनके पुत्र/पुत्री क्रमशः जो भी हो संस्थापक ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टी के पद को धारण करेंगें, इनके न रहने पर ट्रस्ट (न्यास) समिति के सदस्यों का जो भी निर्णय होगा, मान्य होगा।

ट्रस्ट की सदस्यता :

ट्रस्ट में संस्थापक ट्रस्टी व सदस्यों को मिलाकर कुल संख्या 7 होगी एवं ट्रस्ट में किसी भी सदस्य का स्थान रिक्त होने पर संस्थापक ट्रस्टी की सहमति से एक लाख रूपये (रू0 1,00,000/-) सदस्यता शुल्क जमा करा कर नया स्थायी सदस्य बनाया जा

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

सकता है। इस ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के लिए ट्रस्ट अलग से प्रबन्धकारिणी समिति बना सकते हैं जिसमें ट्रस्ट के सदस्य भी सम्मिलित होंगें एवं इसके अतिरिक्त ट्रस्ट को अधिक प्रजातांत्रिक बनाने एवं अधिकतम् कार्यकुशलता लाने के दृष्टिकोण से समाज के सम्मानित सदस्यों को ट्रस्ट/न्यास का सदस्य बनाया जा सकता है। इस सदस्य को संरक्षक सदस्य कहा जायेगा। ट्रस्ट/न्यास का सदस्य बनने की योग्यता रखने वाले ऐसे सभी लोगों को ट्रस्ट को एक लाख रूपये (रू0 1,00,000/–) दान दें, संस्थापक सदस्यों के बहुमत द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी के लिखित सहमति के उपरान्त ट्रस्ट/न्यास के सदस्य बन सकते हैं परन्तु प्रबन्ध समिति में प्रबन्धक संस्थापक ट्रस्ट/मुख्य ट्रस्टी ही होगा तथा अन्य संचालित सभी संस्थाओं के प्रबन्धक भी संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी ही होगा।

ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्तव्य :–

मुख्य संस्थापक ट्रस्टीः

1. ट्रस्ट की साधारण सभा या पदाधिकारियों या अन्यें सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना एवं उनके सुचारू संचालन हेतु नियम निर्देश तय करना।
2. मतदान की स्थिति में समान मत होने की स्थिति में मतदान करना।
3. ट्रस्ट के नवीन सदस्य बनाने हेतु अपनी सहमति/असहमति लिखित रुप में प्रदान करना।
4. न्यास/न्यास से सम्बन्धित संस्थाओं के सम्बन्ध में समस्त प्रकार के प्रशासनिक व वित्तीय निर्णयों (जो ट्रस्ट द्वारा लिये गये हों) के क्रियान्वयन को स्वयं या किसी के माध्यम से सुनिश्चित करनां
5. न्यास के सभी पत्राचार मुख्य ट्रस्टी के नाम होगें।
6. न्यास की समस्त राशियों का व खातों का संस्थापक ट्रस्टी के सहयोग से संचालन।
7. सभी प्रकार के वित्तीय हिसाब–किताब रखना तथा ट्रस्ट की बैठकों का उन्हें प्रस्तुत करना।
8. जहॉं कहीं किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो वहॉं अन्तिम निर्णय देना।
9. मुख्य ट्रस्टी द्वारा संस्थाओं के लिए भूमि भवन का क्रय विक्रय लीज (पट्टा) करना एवं वादों का निस्तारण की पैरवी करेगा।
10. मुख्य ट्रस्टी चल–अचल सम्पत्तियों को ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति के लिए बैच या खरीद सकता है।
11. मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति के लिए देश विदेश से अनुदान/दान प्राप्त कर सकता है एवं उसे खर्च कर सकता है।
12. संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति, निलम्बन व बर्खास्तगी करने का अधिकार संस्थापक ट्रस्टी के पास सुरक्षित है।
13. संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी किसी भी सदस्य के कारण बताकर 2/3 बहुमत से निकाल सकता है। यह प्राविधान संस्थापक एवं उसके उत्तराधिकारी पर लागू नहीं होगा।
14. नये सदस्यों के लिए स्वहस्ताक्षरित रसीद जारी करना।

अजय कुमार नट

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BG 600339

- उपभोक्ता सभी क्रिया–कलापों हेतु राज्य/केन्द्र सरकार/अन्तराष्ट्रीय संस्थाओं/अन्य राष्ट्रीय/अन्तराष्ट्रीय ट्रस्टो तथा जागरूक व्यक्तियों से अनुदान/मदद प्राप्त करना ।
- अनुदान/दान आदि प्राप्त करने के लिए न्यास परिषद के अध्यक्ष ही अधिकृत होंगे ।
- ट्रस्ट की मूल राशि से आय उत्पन्न तथा दान एवं अन्य सहयोग के समय–समय पर लेकर ट्रस्ट की सम्पत्ति की वृद्धि करना ।
- ग्रामिण/शहरी क्षेत्रों में समस्त प्रकार के क्षेत्रों..में व्यवसायिक शिक्षा/प्रशिक्षण देना एवं गरीब/कमजोर/अनाथ युवक/युवतियों को स्वावलम्बित बनाने हेतु अन्य सभी सरकारी योजनाओं में गैर सरकारी संस्था (एन०जी०ओ०) के रूप में कार्य करना ।
- छात्र/छात्राओं, कामकाजी महिलाओं, वृद्धों, विधवाओं तथा अनाथों के लिए छात्रावास/आश्रम की व्यवस्था जिसमें शिक्षा/भोजन की सुविधायें भी हो ।

न्याय की धन सम्पदा एवं सम्पत्तियाँ–

न्यास की उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु ट्रस्ट के संस्थापक अजय कुमार सिंह द्वारा दिये गये पचास हजार रूपये (रू० 50,000/–) को ट्रस्ट की मूल राशि कहा जायेगा।

- ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति (न्यासी परिषद) अपनी सामान्य शक्तियों को अप्रभावित रखते हुए भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के प्राविधानों के अनुरूप निम्नलिखित शक्तियो धारण करेगी ।
- ट्रस्ट/न्यास के लिए सहयोग, चन्दा, आम जनता, किसी भी व्यक्ति, फर्म, एसोशिएशन, किसी अन्य न्यास या कारपोरेट बाडी इत्यादि से धनराशि या अन्य किसी रूप में शर्तो के साथ या बिना शर्तो के स्वीकार करना।
- इस न्यास पत्र की शर्तो के अधीन न्याय की सम्पत्तियाँ तथा आय या उसके किसी भाग को न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अपने विवेकानुसार समय–समय पर उपयोग करना।
- न्यास राशि को बढानें हेतु न्यास की शर्तो के अधीन न्यास के लिए चल व अचल सम्पत्तियाँ प्राप्त करना।
- न्यास के उद्देश्यों कि प्राप्ति हेमु समय–समय पर न्यास की सम्पत्तियों का विक्रय करना, बंधक रखना, पट्टे पर देना लाईसेंस पर देना व किसी अन्य प्रकार अन्तरित करना।
- आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13 (1) तथा धारा 11 (5) एवं सम्बन्धित नियमों के अनुरूप न्यास का धन विभिन्न योजनाओं में लगना।
- विभिन्न योजनाओं में लगाये गये न्यास के धन को वापस लेना उसमें परिवर्धन करना या निरस्त करना।
- न्यास के उद्देश्यों के हित में समझौता करना, तथा अनुबन्ध करना, तथा उन्हें परिवर्तित एवं निरस्त करना।

अजय कुमार सिंह

ट्रस्ट (न्यास) की प्रबन्धकारिणी समिति

गठन–

उत्तर प्रदेश साधारण सभा के सदस्यों द्वारा प्रबन्धारिणी समिति का गठन किया जावेगा जिसमें निम्न पद होगें। अध्यक्ष एवं सदस्य कमेटी के ट्रस्ट के सदस्य पद प्राप्त कर सकते है लेकिन प्रबन्धक पद संस्थापक/अध्यक्ष का होगा या संस्थापक/अध्यक्ष द्वारा भरा जावेगा। ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति कार्यालय समाप्त हो जाता है एवं अगले चुनाव में किसी प्रकार का विलम्ब होता है तो अगले चुनाव तक वहीं प्रबन्ध समिति कार्य करती रहेगी। प्रबन्ध समिति कालातीत नहीं होगी तथा यदि प्रबन्ध समिति के किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो उस प्रबन्ध समिति का सभी अधिकार ट्रस्ट में निहित हो जायेगा और उस संस्था के प्रबन्ध समिति का सभी कार्य ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जावेगा।

बैठकें–

सामान्य–सामान्य स्थिति में ट्रस्ट (न्यास) का संस्थापक ट्रस्टी प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी के मुख्य संस्थापक ट्रस्टी की अनुमति से बैठक बुलायेगा।

विशेष– विशेष बैठक प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी का 2/3 सदस्यों की मांग पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति का बुलायगा।

सूचना अवधि – साधारण स्थिति में प्रबन्ध ट्रस्टी एक सप्ताह की सूचना पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति की बैठक बुला सकता है विशेष बैठक के लिए प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति का संस्थापक ट्रस्टी की अनुमति से 24 घण्टे की सूचना पर बैठक बुला सकता है। सूचना दस्ती अथवा डाक अण्डर पोस्टिंग अथवा समाचार पत्र द्वारा दी जा सकती है।

गणपूर्ति– प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के समस्त बैठकों की गणपूर्ति समिति के सभी सदस्यों के 2/3 उपस्थिति में पूर्ण मानी जायेगी।

रिक्त स्थानों की पूर्ति– यदि किसी सदस्य के असामाजिक निधन या त्याग पत्र या दिवालियापन या पागल हो जाने पर या ट्रस्ट (न्यास) के निष्कासित होने पर उसके स्थान पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी सदस्यों के 2/3 के बहुमत से भरा जायेगा जिसमें संस्थापक ट्रस्टी की अनुमति आवश्यक है यदि प्रक्रिया संस्थापक ट्रस्टी एवं उसके उत्तराधिकारी को भरने के लिए लागू नहीं होगी। नये सदस्य की स्थायी नियुक्ति संस्थापक/अध्यक्ष की अनुमति से 2/3 बहुमत के अतिरिक्त 1,00,000/– रूपये नगद या उतने की सम्पत्ति देने पर होगी। शुल्क रसीद ट्रस्टी अथवा सदस्य ट्रस्टी के हस्ताक्षर से निर्गत होनी आवश्यक है।

प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के कर्तव्य– प्रबधकारिणी ट्रस्टी समिति के निम्नलिखित कर्तव्य होगें–

1. बैठक बुलाना अथवा बैठक विसर्जित करना।
2. ट्रस्ट (न्यास) का प्रबन्धन करना अथवा ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित समस्त संस्थाओं का प्रबन्धन करना।
3. ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित संस्थाओं में कर्मचारियों की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति, विनियमितिकरण का अनुमोदन करना।
4. आय–व्यय का ब्यौरा रखना तथा उसे वार्षिक अधिवेशन के समय साधारण ट्रस्टी सभा के सामने प्रस्तुत करना।

ट्रस्ट (न्यास) के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया –

समय–समय पर परिस्थितियों के अनुसार प्रबन्धारिणी ट्रस्ट (न्यास) के नियमावली में संशोधन एवं परिवर्धन कर सक नियमावली की कटिंग, अशुद्धि, संशोधन छूटे हुए शब्द अथवा वाक्य को बनाने का अधिकार प्रबन्धकारिणी समिति को होगा।

अजय कुमार

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 987098

ट्रस्ट (न्यास) के कोष –

ट्रस्ट (न्यास) के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोष की स्थापना की जायेगी जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/डाकघर में रखा जायेगा। जिसका संचालन संस्थापक/अध्यक्ष तथा सदस्य ट्रस्टी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। परन्तु ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के खातों का संचालन ट्रस्ट द्वारा गठित प्रबन्धकारिणी समिति के प्रबन्धक द्वारा किया जायेगा।

ट्रस्ट (न्यास) के आय व्यय का लेखा परीक्षण –

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार किसी भी योग्य आडीटर से संस्था का आय व्यय का लेखा परीक्षण कराया जायेगा।

ट्रस्ट (न्यास) के अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व –

ट्रस्ट (न्यास) द्वारा अथवा उसके विरूद्ध समस्त अदालती कार्यवाही के संचालन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति पर होगा। जो किसी पदाधिकारी अथवा सदस्य को इस कार्य के निमित्त नियुक्त कर सकती है।

ट्रस्ट (न्यास) के अभिलेख –

ट्रस्ट (न्यास) के समस्त अभिलेख जैसे – सूचना रजिस्टर, सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, कैश बुक, संस्थापक मुख्य ट्रस्टी के पास होगें।

संस्था को आगे बढ़ाने के लिए 12ए, 80 जी, 10/23 व 35 एक्ट के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाओं को प्रदान करना।

केन्द्र सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जाने वाली समस्त योजनाओं को जनता के हित में संचालित करना एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले तमाम पिड़ित लोगों को उनन्नयन एवं लाभान्वित करना आदि।

आजाद कुमार सिंह

12

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BP 091872

आयकर अधि० सन् 1961 की सुसंगत धाराओं को पालन किया जाता है।

विघटन :-

यदि कभी इस ट्रस्ट के विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस दशा में ट्रस्ट या संस्था की सम्पूर्ण सम्पत्ति पर स्वामित्व संस्थापक अध्यक्ष ट्रस्टी का होगा। ट्रस्ट (न्यास) के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत की जायेगी।

दिनांक : 6-11-2013

अजय कुमार सिंह
मसवदाकेता

ह0 गवाह – 1. कुँवर [illegible] सिंह [illegible]
ग्रा०- [illegible], पो० -[illegible]
जिला - आजमगढ़

2.- [illegible]
सा० [illegible]

[illegible] प्रसाद गुप्त
[illegible]
[illegible]

न° 180

रजि. 100/-

हा० न० 179

2-11-13

IV 56 321/344 39

6-11-2013 को रजिस्ट्री की गई

उप निबंधक
मुहम्मदाबाद गोहना।
मऊ